

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सिंगरौली (म.प्र.)

// संशोधित विविध आदेश //

क्रमांक- ५२/एक-5-1/2010,

सिंगरौली, दिनांक-14.07.2023

माननीय उच्च न्यायालय, म0प्र0, जबपुर का आदेश क्रमांक 313/गोपनीय/2023/दो-2-33/57(पार्ट-20), जबलपुर दिनांक 03.04.2023 के द्वारा तृतीय जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश बैढन (श्री अंजनी नंदन जोशी) का स्थानांतरण किए जाने से तब से वर्तमान अवधि तक उक्त न्यायालय रिक्त होने के कारण एवं माननीय उच्च न्यायालय, म0प्र0, जबलपुर के रिट पिटीशन क्रमांक 19656/2020 यशवर्धन रघुवंशी बनाम जिला एवं सत्र न्यायाधीश व अन्य में पारित आदेश दिनांक 26 फरवरी 2021 के पालन में इस कार्यालय से जारी कार्य विभाजन पत्रक, विविध आदेश क्रमांक 2, दिनांक 17.01.2023 में नवीन संशोधन प्रतिस्थापित किया जाना प्रस्तावित है:-

सरल क्रमांक 05 (श्री आत्माराम टांक चतुर्थ जिला न्यायाधीश, बैढन, जिला सिंगरौली) के कॉलम क्रमांक 4 के सरल क्रमांक 5 के पश्चात् क्रमांक "6" निम्नानुसार नवीन प्रतिस्थापित किया जाता है:-

"6" The Court of District Judge as the Principal Civil Court of original jurisdiction would be competent to decide the matters/disputes filed under the provisions to Sections 9, 14 & 36 of the Arbitration Act and also under the provisions of the Commercial Court Act, के लिए श्री आत्माराम टांक चतुर्थ जिला न्यायाधीश बैढन, जिला सिंगरौली को आगामी आदेश तक के लिए अधिकृत किया जाता है।

उक्त विविध आदेश, आदेश दिनांक से प्रभावशील होगा।

-sd-
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
सिंगरौली (म0प्र0)

पृ० क्रमांक-1110/एक-5-1/2010

सिंगरौली, दिनांक-14.07.2023

1. प्रथम/द्वितीय/तृतीय/चतुर्थ/पंचम जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश बैठन
2. अध्यक्ष, जिला अधिवक्ता संघ, बैठन, जिला सिंगरौली (म.प्र.)
.....की ओर सूचनार्थ प्रेषित है।

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
सिंगरौली (म०प्र०)